रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255948 CG-DL-E-31072024-255948

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2906]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946

No. 2906]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/ SHRAVANA 9, 1946

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2024

का.आ. 3047(अ).—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) यथा संशोधित 2017 (2017 का 21) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जिसे इसके आगे 'वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के माध्यम से अनुसूची-I में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार विनिर्माण तथा इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देता है।

- 2. इसके अलावा, मंत्रालय उपर्युक्त निर्देशों के संदर्भ में अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके नामितियों को, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है। प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी संग्रहण नियमावली 2011 के साथ संलग्न फार्म-I नामक निर्धारित प्रपत्र में भर कर एक वचनबन्ध तत्काल अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेगा।
- 3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के साथ संलग्न फार्म-I नामक निर्धारित प्रपत्र में भरा गया वचनबन्ध सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात प्रपत्र में सूचनादाता द्वारा दी

4727 GI/2024 (1)

गई सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकॉर्डों की जांच, और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के लिये, सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक कार्यक्षेत्र में नियुक्त किये जाएंगे। इन कर्तव्यों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान पत्र अथवा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा। सांख्यिकी अधिकारी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत वचनबन्ध को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा उपरोक्त वचनबन्ध प्राप्त करने का प्रमाण पत्र अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा।

- 4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) अनुसूची के भाग I में एकत्र किए गए आंकड़े, उचित सत्यापन और जांच के बाद, उप महानिदेशक, औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध, कोलकाता के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा तथा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) अनुसूची के भाग II में एकत्रित आंकड़ो को श्रम ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा I सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के प्रावधानों तथा सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से उत्पादित डाटा से तैयार ईकाई स्तरीय आंकडे एवं रिपोर्टें मन्त्रालय के औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध तथा संगणक केन्द्र और श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय के अन्तर्गत श्रम ब्यूरो की अभिरक्षा में रखे जाएं तथा उनके द्वारा सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार सरकार तथा सरकार के बाहर के प्रयोगकर्ताओं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा आम जनता के प्रयोग हेतु प्रसारित किया जाए।
- 5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 से सम्बंधित किसी भी कार्यकलाप, जैसे आंकडा संग्रहण, आंकडा प्रसंस्करण तथा प्रचार प्रसार में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे।
- 6. सांख्यिकी अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं:
- (क) सांख्यिकी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार आंकडा संग्रहण के लिए, व्यवसाय संबंधी रिकार्ड तथा अन्य रिकार्ड के आधार पर सूचनादाताओं द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने तथा फैक्ट्री के स्वामी या अधिभोक्ता या फैक्ट्री के प्रभारी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान या प्रबन्धन, जैसा भी मामला हो, जहां ऐसा रिकार्ड रखा गया है वहां पर स्पष्टीकरण प्राप्त करनें के लिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं। सांख्यिकी अधिकारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन ऐसे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं जो उनमें से किसी फैक्ट्री/प्रतिष्ठान से आंकडे एकत्र करना चाहता हो जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत न किया गया हो।
- (ख) सांख्यिकी अधिकारी प्रत्येक सूचनादाता को आंकडा संग्रहण के उद्देश्य से निर्धारित फार्म में एक माह या जो भी अवधि उचित समझे, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं।
- (ग) सांख्यिकी अधिकारी किसी भी सूचनादाता को वेबपोर्टल के माध्यम से एक निश्चित अविध के लिए, जो उसके द्वारा सूचनादाता को जारी नोटिस में दर्शायी गई हो, इलेक्ट्रानिक रूप में रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकार प्रदत्त है।

अनुसूची-।

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन:

1. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संरचना और ढांचे जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित कार्यकलाप, मरम्मत सेवाएं, गैस और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं, के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 यथा संशोधित 2017 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है।

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति:

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सूचना देने की तारीख, जिसे सूचना दी जानी है उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम, जिस इकाई अथवा जिन इकाइयों के बारे में सूचना दी जानी है, उसका ब्यौरा और प्रपत्र तथा विधि जिसके अनुसार सूचना प्रदान की जानी अपेक्षित है, जिसमें इस उद्देश्यके लिए निरुपित तथा सूचनादाताओं के लिए नोटिस मे दर्शायी गई निश्चित तिथि तक उपलब्ध करवाए जाने वाले वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रुप में सूचना प्रस्तुत करना भी शामिल है का उल्लेख होगा।

सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं:

- 4. सूचनादाता कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों अथवा बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की परिस्थितियां) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानो या निम्नलिखित में से किसी भी अधिनियम/बोर्ड/प्राधिकरण जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, दूकान तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केन्द्र) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं के मालिक अथवा दखलकार या प्रभारी हैं, जिन्हे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, इकाइयों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
- 5. सांख्यिकी अधिकारी उन दो अथवा अधिक इकाइयों या प्रतिष्ठानों जो एक ही प्रबन्धन के अधीन राज्य या संघीय क्षेत्र में चल रही हो जिनके बारे में प्रत्येक इकाई के अनुसार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है तो संबंधित प्रबन्धन के मालिक अथवा दखलकार या प्रभारी व्यक्ति को नोटिस जारी कर समेकित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है |

सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और यह आमतौर पर अगस्त, 2024 से जुलाई, 2025 के बीच होगी।

संदर्भ अवधि

7. प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, 01 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के लेखा वर्ष, जो 01 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के बारे में होगी।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

8. अपेक्षित सूचना परिसम्पत्तियों और देयताओं, प्राप्तियां, व्यय, निवेश की मदें (देशी अथवा आयातित), उत्पाद और उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्यय, रोजगार तथा श्रम लागत, कार्य दिवस, कार्य किए गए श्रम दिवस, अनुपस्थितिता, श्रम टर्नओवर, कार्य किए गए श्रम घंटे, आय तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है।

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है

9. सूचनादाता निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध कराएगा।

सुचनादाता का दायित्व

10. कारखाना या प्रतिष्ठान अथवा प्रबन्धन, जैसा भी मामला हो, का मालिक या दखलकार संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दिए गए तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा । वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित सूचना के संबंध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा ।

निरीक्षण किए जाने वाले कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्डों की प्रकृति

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस इकाई के कारोबार रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टररोल, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य दस्तावेज की जांच कर सकता है।

निरीक्षण का तरीका

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित निर्देशों के अनूसार इकाई के कारोबार रिकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पुष्टि कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा दखलकार या प्रभारी व्यक्ति अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से ईकाई प्रांगण में स्पष्टीकरण मांग सकता है।

अनुसूची-॥

	ગંતુત્ર્વા-ા			
क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता	
स. 1 2	श्री हिम्मत सिंह राघव उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली श्री कैलाश जी॰ शर्मा उपमहानिदेशक,	पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) और लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र) हरियाणा, एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) एव	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), बिल्डिंग न॰-418, बल्क मटिरियल मार्केट, सैक्टर-65, फ़ेस-II, एस.ए.एस. नगर मोहाली-160063 रा.प्र.स.का (क्षे.स.प्र.), छठा तल, केंद्रीय सदन, से. 9-ए,	
3	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ श्री नीतीश कुमार उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	हिमाचल प्रदेश	'चडागढ़-160017 रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), सांख्यिकी भवन, डी. ब्लाक, चौथातल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा, नजदीक कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली-110032	
4	डा. हंसराज यादव उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 70/149-154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020	
5	श्री आर॰ मनोहर उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू	कर्नाटक	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, ई. तथा एफ. विंग,केन्द्रीय सदन, 7 मेन- द्वितीय ब्लाक, कोरामंगला, बंगलूरू-560034	

6	डा. पी॰ टी॰ सुभा	तमिलनाडु तथा	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 'बी'विंग,
	उपमहानिदेशक,	पुडुचेरी (संघ राज्य	दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन,
	क्षेत्रीय कार्यालय,	क्षेत्र)	हैडास रोड,नंगमबक्कम,
	चेन्नई		चेन्नई-600006
7	श्रीमति सुनीता	केरल तथा लक्षद्वीप	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), ब्लॉक-बी.,
	भास्कर	(संघ राज्य क्षेत्र)	भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
	उपमहानिदेशक,		पुनकुलम, वेलाइनी,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		पीओ, तिरुवनंतपुरम -695522
	तिरुवनंतपुरम		
8	श्री किरन कुमार	आंध्र प्रदेश	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	उपमहानिदेशक,		पांचवा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		इंडस्ट्रियल एस्टेट, औटोनगर, विजयवाड़ा-
	विजयवाड़ा		520007
9	श्री साजी जॉर्ज	गोवा	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	उपमहानिदेशक,	तथा अंडमान व	द्वितीय तल, बी- विंग, केन्द्रीय सदन,
	आंचलिक कार्यालय,	निकोबार	सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
	बंगलुरु	द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	कोरामंगला, बंगलूरू-560034
10	श्री डी॰ सतीश	तेलंगाना	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 293/7,
	उपमहानिदेशक,		पहली मंजिल,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		आर॰एंडबी॰कॉम्प्लेक्स, ए॰सी॰गार्ड्स,
	हैदराबाद <u>है</u> दराबाद		हैदराबाद-500004
11	श्री रजनीश माथुर	उत्तर प्रदेश	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), सेक्टर-11,
	उपमहानिदेशक,		आईएनएस-IV, विकासनगर, रिंगरोड,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		लखनऊ-226022
	लखनऊ		
12	श्री अजित कुमार एन,	उत्तराखंड	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), सी-15,
	उपमहानिदेशक,		सेक्टर-1, डिफेन्स कॉलोनी,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		देहरादून-248001
	देहरादून		
13	श्री राहुल शर्मा	मध्य प्रदेश	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), विजय स्तम्भ,
	उपमहानिदेशक,		हाल न॰-201 व 205, दूसरा तल,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		म॰ प॰ नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011
	भोपाल		

14	श्री रोशन लाल साहू	बिहार	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	उपमहानिदेशक,		7 7वां तल, ब्लॉक डी व ई,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		कपूरी ठाकुर सदन,
	पटना		
			जी. पी. ओ. ए. भवन, राजीव नगर
			थाना के नजदीक, आशियाना दीघा
			रोड, पटना- 800025
15	श्री संजीब बासु	पश्चिम बंगाल	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	उपमहानिदेशक,		सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		इ विंग, डी ऍफ़ ब्लाक,सेक्टर-1
	कोलकाता		साल्ट लेक, कोलकाता-700064
16	श्री अनुपम लाहिरी	ओडिशा	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), कोमेर्सिअल
	उपमहानिदेशक,		्र काम्प्लेक्स, प्रथम तल, आचार्य विहार,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		भूबनेश्वर- 751013
	भुबनेश्वर		9444 701010
17	श्री अतानु कुमार	झारखंड	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	चोव्दुरी उपमहानिदेशक,		छटा तल, महलनोबिस भवन, 164,
	अपमहाानदशक, आंचलिक कार्यालय,		जी॰ एल॰ टी॰ रोड,
	आचालक कायालय, कोलकाता		कोलकाता-700108
18	श्रीमति स्वपनाली	असम	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	भट्टाचार्य		तीसरा तल, केन्रीय खंड, हौसेफेड
	उपमहानिदेशक,		काम्प्लेक्स, बजससथा रोड, ददसपुर,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		गुवाहाटी-781006
	गुवाहाटी		
19	डॉ. के॰ एम॰ सिंह	मणिपुर ,	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	उपमहानिदेशक,		थेगमेईब ड लाउरुंगपुरेल लेकेई,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		इमाइमोईनूसाना सांगलेन पी.ओ.,
	इम्फाल		इम्फाल-795004
20	श्री एन. मोहोनदास	मेघालय,नागालैंड	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), छठा तल, केन्द्रीय खंड,
	निदेशक,	अरुणाचल प्रदेश	हौसेफेड कॉम्प्लेक्स, बजससथा रोड, दिसपुर,
	आंचलिक कार्यालय,	तथा सिक्किम	गुवाहाटी-781006
0.4	गुवाहाटी श्री अनिल दिगम्बर	विगया स्था	2-222
21	श्रा आनल ।दगम्बर पाटिल	त्रिपुरा तथा मिजोरम	श्री राम विल्ला, नजदीक एसबीआई,
	_{उपमहानिदेशक,}	। नजारम	पी. ओ. कुंजबन, अगरतला,
	अत्रीय कार्यालय,		त्रिपुरा-799006
	अगरतला		
	-1 (XXXII		

22	श्रीमति सुप्रिया रॉय	महाराष्ट्र	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), चौथा तल,
	ु उपमहानिदेशक,		ए-2/3 विंग, निकट कोंकणभवन,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		सीजीओ कॉम्प्लेक्स
	मुम्बई		बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर,
			नवी मुम्बई-400614
23	श्री एस ॰के॰ भानावत	गुजरात, दादरा तथा	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),
	उपमहानिदेशक,	नागर हवेली और	अर्बन हेल्थ सेंटर के निकट,
	क्षेत्रीय कार्यालय,	दमन एवं दीव	नारायणपुरा, पुलिस स्टेशन के पीछे,
	अहमदाबाद	(संघ राज्य क्षेत्र)	पुरूषोत्तम नगर, नवा वेडास,
			अहमदाबाद-380013
24	श्री अल्ताफ हुसैन	छत्तीसगढ	रा.प्र.स.का (क्षे.स.प्र.), भगत माता
	हाजी		कर्मा, व्यावसायिक परिसर,
	उपमहानिदेशक,		द्वितीय तल, कमरा स. 8 से 25,
	क्षेत्रीय कार्यालय,		न्यू राजेंद्र नगर,
	रायपुर		रायपुर (छ. ग.) -492006

[फा. सं.एस-11014/औ. सां./सां. सं. अधि./2017-18-क्षे. सं. प्र.]

रौशन कुमार चौधरी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2024

- **S.O. 3047(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017), read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Annual Survey of Industries **2023-24**', as per the details mentioned in the Schedule-I.
- 2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule II as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction. Each Statistics Officer shall immediately submit an undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011, to the Additional Director General, Field Operations Division, National Sample Survey Office, New Delhi.
- 3. The persons authorized by each statistics officer, after submission of undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011 to the Statistics Officer, would be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by informants, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary, from informants. In accordance with these duties, each person authorized would carry a photo identity card and a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer. The Statistics Officer shall keep the undertakings of the authorized persons in his safe custody and forward a certificate of having obtained the above undertakings to the Office of the Additional Director General, Field Operations Division, National Sample Survey Office, New Delhi.
- 4. The statistics collected in Part I of Annual Survey of Industries (ASI) schedule after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Industrial Statistics Wing, Kolkata and the statistics collected in Part II of the ASI schedule thereof will be processed by officials working at the Labour Bureau. Subject to the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011, the unit level data and the reports, generated from the data through statistical techniques,

may be kept in custody and disseminated by the Industrial Statistics Wing and the Computer Centre of this Ministry and the Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment to the users within and outside the Government, the States/UTs and the public at large as per policy guidelines of the Government.

- 5. All persons engaged in any activity in respect of collection of statistics, processing of data and dissemination with respect to ASI 2023-24 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.
- 6. Following powers have been delegated to the Statistics Officers:
- (a) A Statistics Officer is empowered to depute/authorize officials to collect statistics in respect of the aforementioned direction, to verify any information furnished by informants on the basis of business records and other records and to seek clarifications from any owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, at the premises where such records are kept. A Statistics Officer is also empowered to depute/authorize officials under the administrative control of any State Government or Union territory Administration, which is willing to collect statistics from any of those factories/establishment for which the Statistics Officer has not deputed/authorized any official under his administrative control.
- (b) A Statistics Officer is empowered to give one month notice or for the period deemed fit to each of the informant for furnishing return in the format, specified for the purpose of collection of statistics.
- (c) A Statistics Officer is empowered to provide to any informant, the facility of furnishing return in electronic form through a web-portal for certain period, to be specified by him in the notice to be issued to the informant.

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2023-24.

Geographical area for collection of statistics:

2. The Annual Survey of Industries 2023-24 is conducted in the whole of India.

Method of data collection:

3. A Notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats and the manner in which information is required to be furnished, including submission of information in electronic form through a web-portal designed for the purpose and made available to informants up to a certain date, specified in the notice.

Nature of informants for whom data may be collected:

- 4. The informants are owners or occupiers or persons in-charge, of factories registered under the Factories Act, 1948 or of establishments registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act,1966 or the units registered under any of the following Acts/Boards/Authority viz., Companies Act, 2013, Shops and Commercial Establishments Act, Societies Registration Act, Cooperative Societies Act, Khadi and Village Industries Board, Directorate of Industries (District Industries Centre) who would be issued notice by Statistics Officer for furnishing information under the aforementioned direction.
- 5. A Statistics Officer may require furnishing of consolidated information in respect of two or more factories or establishments under a single management operating within a State or Union Territory, in case information is not separately available for individual factories or establishments, through a notice issued to the concerned owner or occupier or person in-charge of the management.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and would generally fall during August, 2024 to July, 2025.

Reference period:

7. Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2023 and ending on 31stMarch 2024 or for the Accounting Year of a unit ending on any date between 1st April 2023 and 31st March 2024.

Nature of information to be collected:

8. The information required relates to assets and liabilities, receipts, expenses, input items (indigenous and imported), products and by-products, distributive expenses, employment and labour cost, working days, man-days worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other document in support of the information furnished may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished under the aforementioned direction on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications, at the premises where such records are kept, from the concerned owner or occupier or a person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, or a person authorized by him of the unit.

SCHEDULE-II

	SCHEDULE-II			
S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address	
1.	Sh. Himmat Singh	Punjab, Jammu &	NSSO (FOD), Building No. 418	
	Raghav	Kashmir (UT) &	Bulk Material Market, Sector	
	DDG, RO, Mohali	Ladakh (UT)	65, Phase-11, SAS Nagar,	
			Mohali-160065.	
2.	Sh. Kailash G. Sharma	Haryana,	NSSO(FOD), 6 th floor, Kendriya	
	DDG, RO, Chandigarh	Chandigarh (UT) and	Sadan, Sec-9A, Chandigarh -160017.	
		Himachal Pradesh		
3.	Sh. Nitish Kumar	Delhi	NSSO (FOD), Sankhyiki	
	DDG, RO, Delhi		Bhawan, D-Block, 4 th Floor,	
			GPOA Building, CBD	
			Shahdara, Delhi-110032.	
4.	Dr. Hansraj Yadav	Rajasthan	NSSO(FOD), 70/149-154,	
	DDG, RO, Jaipur		Patel Marg, Mansarovar,	
			Jaipur-302020.	
5.	Sh. R. Manohar	Karnataka	NSSO (FOD), V Floor,	
	DDG, RO, Bengaluru		E&F Wing, Kendriya Sadan,	
			17 Main-2 nd Block, Koramangala,	
			Bengaluru -560034.	
	Dr. P.T. Subha	Tamil Nadu and	NSSO (FOD), 'B' Wing, II Floor,	
6.	DDG, RO, Chennai	Puducherry (UT)	III Block, Shastri Bhawan,	
		• • •	Haddows Road, Nungambakkam,	
			Chennai-600006.	
7.	Smt. Sunitha Bhaskar	Kerala and	NSSO (FOD), Block B,	
	DDG, RO,	Lakshadweep (UT)	Ground Floor, CGO Complex,	
	Thiruvananthapuram		Poonkulam, Vellayani P.O.,	
			Thiruvananthapuram -695522.	
8.	Sh. Kiran Kumar	Andhra Pradesh	NSSO(FOD), 5th floor, C.G.O.	
	DDG, RO, Vijayawada		complex, Industrial estate,	
			Autonagar, Vijayawada-520007	
9.	Sh. Saji George	Goa and Andaman	NSSO (FOD), 2 nd floor,	
	DDG, ZO, Bengaluru	& Nicobar Islands	B-Wing, Kendriya Sadan,	
		(UT)	C.G.O. complex,	
			Komarmangala,,	
			Bengaluru-560034.	

10.	Sh. D. Satish	Telangana	NSSO (FOD), 293/7, 1 st Floor,
	DDG, RO Hyderabad		R&B Complex, A.C. Guards,
			Hyderabad-500004.
11.	Sh. Rajnish Mathur	Uttar Pradesh	NSSO(FOD), INS-IV,
	DDG, RO, Lucknow		Sector-11, Vikas Nagar, Ring
			Road, Lucknow-226022.
12.	Sh. Ajith Kumar N	Uttarakhand	NSSO (FOD), C-15, Sector-1,
	DDG, RO, Dehradun		Defence Colony,
			Dehradun- 248001.
13.	Sh. Rahul Sharma	Madhya Pradesh	NSSO(FOD), Vijay Stambh,
15.	DDG, RO, Bhopal		Hall No. 201 & 205, 2nd Floor,
			M.P. Nagar, Zone-I,
			Bhopal-462011.
14.	Sh. Roshan Lal Sahoo	Bihar	NSSO(FOD),
14.	DDG, RO, Patna		7th Floor, Block D & E,
			Karpuri Thakur Sadan,
			GPOA Building,
			Near Rajiv Nagar Thana,
			Ashiyana Digha Road,
			Patna – 800025.
15.	Sh. Sanjeeb Basu	West Bengal	NSSO (FOD), CGO Complex, 2nd
15.	DDG, RO, Kolkata		Floor, E-Wing, DF Block Sector-I,
			Salt Lake, Kolkata-700064.
16.	Sh. Anupam Lahiri	Odisha	NSSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor,
10.	DDG, RO, Bhubaneswar		Acharya Vihar,
			Bhubaneswar-751013.
	Sh. Atanu Kumar	Jharkhand	NSSO (FOD), 6 th Floor,
17.	Chowdhury		Mahalnobis Bhawan, 164,
	DDG, ZO, Kolkata		G.L.T. Road, Kolkata-700108.
18.	Smt. Swapnalee	Assam	NSSO (FOD),
	Bhattacharya		3rd Floor, Central Block,
	DDG, RO Guwahati		Housefed Complex,
			Basistha Road,
			Dispur Guwahati-781006.
19.	Dr. K. M. Singh	Manipur,	NSSO (FOD), Thangmeiband
	DDG, RO, Imphal		Lourung Purel Lekei,
			Imaemoinusanasanglen, P.O.,
			Imphal-795001
20.	Sh. N. Mohondas	Meghalaya, Nagaland	NSSO(FOD, 6th Floor, West End Block,
	Singh	Arunachal Pradesh,	Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati, Assam -781006.
	Director, ZO, Guwahati	and Sikkim	,
21.	Sh. Anil Digambar Patil	Tripura and	Sree Ram villa, near SBI, PO Kunjaban
	DDG, RO, Agartala	Mizoram	Agartala, Tripura -799006
22.	Smt, Supriya Roy	Maharashtra	NSSO (FOD), 4th Floor, A-2/3
22.		rrana asma	
I	DDG, RO, Mumbai	1	Wing, Near Konkan Bhawan,

			CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
23.	Sh. S. K. Bhanawat DDG, RO, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu (UT)	NSSO (FOD), Near Urban Health Centre, Behind Narayanpura Police Station, PurshotamNagar, NavaVadas, Ahmedabad-380013.
24.	Sh. Altaf Hussain Haji DDG, RO, Raipur.	Chhattisgarh	NSSO (FOD), 2nd Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, Room No.8-25, New Rajendra Nagar, Raipur-492006

[F. No. S-11014/IS/COSA/2017-18-FOD]

RAUSHAN KUMAR CHOUDHARY, Dy. Director General,